छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा धमतरी,

जिला न्यायालय, परिसर धमतरी छ.ग.

कमांक. क्यू/2025 **धमतरी, दिनांक 17/03/2025**

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला न्यायालय परिसर धमतरी में कैंटीन के संचालन हेतु सक्षम निविदाकर्ता द्वारा बंद लिफाफा में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता उल्लेखित व्यवसाय के संचालन हेतु निविदा का प्रारूप एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में अध्यक्ष, छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा धमतरी, जिला न्यायालय परिसर धमतरी से अथवा जिला न्यायालय धमतरी की वेबसाईट https://dhamtari.dcourts.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 25/03/2025 (शाम 05 बजे तक)

निविदा खोले जाने का तिथि – 26/03/2025 को शाम पांच बजे

स्थान–कान्फ्रेंस हाल जिला न्यायालय परिसर धमतरी छ.ग.

(नागेश्वर सिंह मौर्य)
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा धमतरी छ.ग.

आवेदन पत्र

01. व्यवसाय :– जिला न्यायालय परिसर धमतरी में कैंटीन व्यवसाय हेतु

02. आवेदक का नाम :–

03. पूर्ण पता :–

.....

04. पहचान का प्रमाण :–
(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

05. निविदा हेतु बोली राशि :–
(मासिक लाईसेंस शुल्क/किराया)

कृपया आवेदन के साथ निविदा हेतु बोली राशि का 25 प्रतिशत राशि **डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक** द्वारा जो कि **छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ धमतरी** के नाम पर देय होगा, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें, निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को अरनेस्ट मनी की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जल्द से जल्द वापस कर दिया जावेगा।

06. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक कमांक और दिनांक

.....

07. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखा :–

.....

08. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगे अगर कोई भी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि का डिमांड डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क0 05, 06 एवं 07 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि आवेदन में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदा आवेदन पत्र के साथ वांछित अर्नेस्ट मनी का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना आवश्यक हैं।

हस्ताक्षर
निविदाकर्ता

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नि

एतद् द्वारा सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है, सत्य है और मैं हर परिस्थितियों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी कैंटीन, फोटोकॉपियर, वाहन स्टैंड एवं पब्लिक यूटिलिटि सर्विस सेंटर के संचालन हेतु जारी नियम निर्देश 2025 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को घटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाये।

हस्ताक्षर–

नाम –

निविदा की शर्तें

1. आमंत्रित किये गए निविदा को किसी भी समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकेगा।

2. निविदा प्रस्तुति के लिए समय सीमा दिनांक 25/03/2025 के शाम 05:00 बजे तक

3. निविदा को नीचे दिए गए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकेगा।

अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ

जिला न्यायालय परिसर, धमतरी

जिला– धमतरी, छ0ग0

या यथा निर्धारित कार्यालय में जमा किया जावेगा।

4. सभी निविदाएं अंतिम तिथि 25.03.2025 के शाम 05.00 बजे तक अनिवार्य रूप से जमा हो जाना चाहिए।

5. कैंन्टीन संचालन हेतु प्राप्त निविदा को क्रम से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम–2025 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी।

6. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, की घोषणा की जाएगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकार्ताओं को कैंन्टीन संचालन की अनुमति अनुबंध के पश्चात् से दिया जाएगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए पर सफल नही हुए, उनके द्वारा जमा किए गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जाएगा।

7. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्य दिवस के भीतर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ धमतरी के नाम पर होनी चाहिए, जमा करना होगा, तथा अग्रिम जमा के रूप में दो माह का लाईसेंस फीस/किराया अनुबंध पूर्व जमा करेगा। अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका अरनेस्ट मनी की राशि जब्त कर उसकी बोली रद्द कर दिया जाएगा। निविदा हेतु बोली की संपूर्ण राशि 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे कैंन्टीन संचालन हेतु अनुबंधित किया जाएगा तथा तभी उसे कैंन्टीन संचालन की पात्रता होगी।

8. कैंन्टीन में बेची जाने वाली वस्तुएं बाजार दर से अधिक नही होगी। यदि संभव हो तो उसकी दर बाजार दर से कम हो, यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम में बेचनी होगी। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक नही बेची जाएगी। खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान कैंटीन संचालक द्वारा दिये जाने वाले स्नैक्स,पेय पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ पर होने चाहिए।

9. कैंन्टीन संचालक अपने रसोईयों तथा उसके सहायक को साफ एप्रॉन, वर्दी उपलब्ध कराएगा।

10. विद्युत, पानी एवं रख–रखाव के सारे शुल्क कैंन्टीन संचालक द्वारा देय होगा।

11. अनुबंध की अवधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये होगी। संघ के अध्यक्ष द्वारा अनुबंध की अवधि वार्षिक आधार पर माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय/समिति के अनुमोदन उपरांत बढ़ाया जा सकेगा।

12. कैंन्टीन संचालक द्वारा दो माह का लायसेंस फीस/किराया अग्रिम के तौर पर संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। यह दर अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक प्रचालित होगी, इसके बाद किराया, कैंन्टीन की निविदा राशि का 05 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। कैंन्टीन संचालक को मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैंन्टीन संचालक नियमो का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को नोटिस देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा।

13. कैंटीन का संचालन माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा जिला न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर सफल निविदाकर्ता के द्वारा किया जायेगा।

14. निविदा एक बंद लिफाफे में होगी। लिफाफे के बाहर, अंदर रखे दस्तावेज का विवरण अभिलिखित किया जाना होगा।

15. जो निविदाएं निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त होगी, उन्हे खोला नही जाएगा और वापस कर दिया जाएगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहर बंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

16. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

17. समिति द्वारा मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार कैन्टीन हेतु न्यूनतम बोली राशि 2,000/– रूपये निर्धारित की गई है।

18. सफल निविदाकर्ता द्वारा "The Rules Pertaining to giving Canteen, Photocopying, Cycle Stand and Public Utility Serwice Center in District Courts, 2025" में दर्शित नियमों एवं शर्तों के तहत ही कैंटीन का संचालन करना आवश्यक होगा।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क02, कैंटीन, फोटोकॉपी,
सायकल स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि
सर्विस सेंटर संचालन समिति एवं
प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(श्रीमती नामिता मिंज भास्कर)
सदस्य क01, कैंटीन, फोटोकॉपी,
सायकल स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि
सर्विस सेंटर संचालन समिति एवं
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी, सायकल
स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि सर्विस
सेंटर संचालन समिति
एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0

कैन्टीन हेतु निविदा की शर्तों –

1. कैन्टीन संचालक के द्वारा कैंटीन में बेची जानी वाली वस्तुओं की दर बाजार दर से अधिक नही होगी। यदि संभव हो तो सभी खाने की वस्तुएं एम.आर.पी. दर से कम दर में विक्रय करना होगा। कोई भी वस्तु एम.आर.पी. दर से अधिक कीमत में विक्रय नहीं किया जायेगा।

2. कैन्टीन संचालक खाने की वस्तु (स्नेक्स, पेय एवं खाद्य पदार्थ) की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेगा।

3. कैन्टीन संचालक अपने रसोईया तथा उनके सहायक को एप्रान एवं वर्दी उपलब्ध करायेगा तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ की अध्यक्ष को उपलब्धता करायेगा।

4. कैन्टीन संचालक विद्युत, पानी, फर्नीचर एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

5. कैन्टीन संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा, जो कि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक प्रचलित होगा, इसके बाद कैंटीन की मासिक लाइसेंस फीस/किराया की राशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाया जावेगा।

6. कैन्टीन संचालक मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संघ के बैंक खता में जमा करेगा, यदि उक्त नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा कैन्टीन संचालक को सूचना देते हुए उसक अनुबंध को समाप्त किया जा सकेगा।

7. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू, पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कैन्टीन का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

8. कैन्टीन संचालक को यह अधिकार होगा कि वह 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर कैंटीन बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि कैन्टीन संचालक को वापस करेगा।

9. कैन्टीन संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुमपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या कोई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा, तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

10. कैन्टीन संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

(अशोक श्रीवास्तव)
सदस्य क0२, कैंटीन, फोटोकॉपी,
सायकल स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि
सर्विस सेंटर संचालन समिति एवं
प्रशासनिक अधिकारी,धमतरी छ0ग0

(श्रीमती नीमिता मिंज भास्कर)
सदस्य क0१, कैंटीन, फोटोकॉपी,
सायकल स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि
सर्विस सेंटर संचालन समिति एवं
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी
धमतरी छ0ग0

(शैलेश कुमार तिवारी)
अध्यक्ष, कैंटीन, फोटोकॉपी, सायकल
स्टैण्ड एवं पब्लिक यूटिलिटि सर्विस
सेंटर संचालन समिति
एवं जिला न्यायाधीश धमतरी छ0ग0